

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 के अंतर्गत)
धारा 21 के तहत लोक सूचना

भू-अर्जन प्रकरण रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2013-14
लोक निमाण विभाग रा.रा. संभाग अम्बिकापुर द्वारा पुलिया निर्माण कार्य हेतु

चूंकि ग्राम पतरापारा प.ह.नं. 06 रा.नि.मं. सूरजपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर में स्थित अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा लेने का सरकार का आशय है और ऐसी भूमि में सारे हितों के लिए प्रतिकर दावे उससे लिए जा सकते हैं। अतएव अर्जित की जा रही निम्नांकित भूमि के सम्बन्ध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 09/09/2016 को समय 11.00 बजे उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक/माप/प्रतिकर के संबंध में तथा अपना दावा पेश कर सकते हैं। उक्त तिथि में दावा प्रस्तुत न करने पर मान लिया जावेगा कि इस कार्यालय/न्यायालय द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया जा रहा है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम निवास स्थान व जाति	खसरा नं.	अर्जित रकबा	भूमि एवं परिसम्पत्ति का कुल देय मुआवजा राशि रु.
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार गुप्ता आ.उमाशंकर गुप्ता,जाति. सौण्डिक सा.देह भूमि स्वामी	427/3	0.09	1224463/-
	योग	1	0.09	1224463/-

जारी दिनांक 02/08/2016



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
सूरजपुर